

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

फैक्स
निबंधित
ई-मेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय
जिला पदाधिकारी
भोजपुर

पटना, दिनांक

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ में बजट शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-२००-अन्य कार्यक्रम-०००३-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (सम्मान भत्ता) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य स्तर से देय विशेष भत्ता भुगतान के निमित्त आपसे प्राप्त अधियाचना पत्र के आलोक में निम्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है :-

जिला का नाम एवं पत्रांक/ दिनांक	इकाई	वर्तमान में आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि पत्रांक-३१० दिनांक-२४.०६.२०१६ एवं पत्रांक-४१० दिनांक-३१.०८.२०१६	कुल आवंटित राशि
बेगूसराय १९६ दिनांक- १४.०२.२०१७	बजट शीर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	३६६४०	३४,२०,०००	३४,५६,६४०
भोजपुर ४३८ दिनांक- १५.०२.२०१७	बजट शीर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	१७८५४००	१,७२,२०,०००	१,९०,०५,४००

(२) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-०००३-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-०४०१-पेंशन, मांग संख्या-२२ तथा विपत्र कोड सं०-एन२२३५६०२०००००३ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(३) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(४) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं०-२५६१, दिनांक-१७.४.१९९८ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(५) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

(2)

(6) उक्त आवंटन से स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों को राज्यांश, उच्च न्यायालय से आच्छादित मामले एवं बकाये का भुगतान नियमानुसार किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाये आदि का भुगतान पूर्व में नहीं की गयी हो।

(7) उक्त आवंटित राशि का भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-2017 की समाप्ति के पूर्व विभाग को निश्चित रूप से कर दिया जायगा।

(8) उक्त आवंटन के अतिरिक्त यदि राशि की आवश्यकता हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय एवं भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

16.3.17